...यं सहायता समूह ...महिलाओं को दिया ...शिक्षण

...ब्लॉक के सभागार में स्वयं ...ता समूह की महिलाओं को ...ता ऐप के संबंध में प्रोजेक्टर के ...म से एक दिवसीय प्रशिक्षण ...गया। इस अवसर पर भारी ...ा में समूह से जुड़ी महिलाएं ...द रहीं। एडीओ आईएसबी ...बाल अहमद ने बताया कि स्वयं ...ता समूह से जुड़ी लोकेश डाटा ...करने वाली बुक कीपरों, ...ल संघ से जुड़ी लेखाकार एवं ...धिकारियों को एक दिवसीय ...क्षण दिया गया। प्रशिक्षण में ...ा की महिलाओं को फेस आईडी ...करना, डाटा अपलोड करना, ...त, प्राप्त ब्याज एवं समस्त ...-जोखा को अपलोड करने के ...में प्रोजेक्टर के माध्यम से ...कारी दी गई। साथ ही महिलाओं ...डाटा फीड कराकर भी देखा गया। ...क्षण लोकेश एग्जीक्यूटिव ...श्वर दत्त द्वारा दिया गया। संवाद

हाईवे से निकल रहीं बसें, नगीना में परेशान रहते हैं यात्री

पड़ताल

संवाद न्यूज एजेंसी

नगीना में स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ीं एक-दो बसें। संवाद

नगीना। हरिद्वार-काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग फोरलेन बनने के बाद नगीना के लोगों को लाभ कम, परेशानी ज्यादा झेलनी पड़ रही है। पहले नगीना होकर जाने वाली उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को अब चालक शहर के बाहर हाईवे से लेकर निकल रहे हैं। रोडवेज बस चालकों की मनमर्जी का खामियाजा दैनिक यात्रियों व स्थानीय लोगों को रोजाना उठाना पड़ रहा है।

देहरादून, हरिद्वार से नगीना होते हुए काशीपुर जाने और आने के लिए रोजाना सैकड़ों की संख्या में बसों का संचालन होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग फोरलेन बनने से पहले सभी बसें नगीना में रोडवेज बस स्टैंड से होकर जाती थीं।

फोरलेन बनने के बाद से तथा नगीना- कोतवाली मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से बचने के लिए अधिकतर चालक बसों को नगीना रोडवेज बस स्टैंड तक लाने से कतराते हैं। इससे यहां से यात्रियों को रोजाना घंटों बसों का इंतजार करना पड़ता है। स्थिति यह है कि यदि काशीपुर या हरिद्वार की तरफ से कोई भी यात्री नगीना आने के लिए रोडवेज बस में बैठना चाहता है तो चालक-परिचालक पहले ही उसे हाईवे पर बाहर उतारने की हामी भरवाने के बाद ही बस बैठते हैं।

रात के अंधेरे में हाईवे पर यात्रियों के उतर जाने के बाद उन्हें कई किलोमीटर तक पैदल अपने घर आना पड़ता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों व रोडवेज बसों के आला अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।

बोले लोग

व्यापारी रोहित कश्यप का कहना है कि रोडवेज बसें बस स्टैंड तक नहीं आतीं। दिन के समय तो कुछ बसें उपलब्ध भी हो जाती हैं लेकिन रात्रि में तो अधिकतर बसें शहर के बाहर हाईवे से निकल जाती हैं।

शिक्षाविद परवेज आदिल माही का कहना है कि रोडवेज बस चालकों की मनमर्जी पर अंकुश लगाने के लिए जनप्रतिनिधियों को इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

युवा शुभम राजपूत का कहना है कि परिवहन निगम के बड़े अधिकारियों को ऐसे बस चालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जो अपनी बसों को रोडवेज बस स्टैंड तक लेकर नहीं पहुंचते।

उर्दू शिक्षक अनवर महमूद का कहना है कि हरिद्वार से काशीपुर की तरफ जाने व आने वाले अधिकतर रोडवेज बसों के चालक अपने नियम कानून से बसों का संचालन कर रहे हैं।

इस बारे में पूर्व में भी परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक से मिलकर मैंने शिकायत दर्ज कराई थी, तब समस्या का समाधान हो गया था। मैं लखनऊ में ही हूं। एक बार पुनः प्रबंध निदेशक से मिलकर इस समस्या से उन्हें अवगत कराऊंगा। -मनोज पारस, विधायक, नगीना विधानसभा क्षेत्र

मेरी आवाज सुनो...

स्योहारा-मंडोरी मार्ग में नाली निर्माण नहीं होने से जलभराव

स्योहारा-मंडोरी मुख्य मार्ग पर प्रताप नगर कॉलोनी के पास सड़क किनारे नाली का निर्माण न होने से लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। इससे स्कूल आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार समस्या उठाई, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो सका। संबंधित विभाग को जल्द नाली निर्माण कराकर जलभराव की समस्या से निजात दिलानी चाहिए। -कपिल कुमार शर्मा, प्रताप नगर कॉलोनी, स्योहारा

आप भी भेज सकते हैं अपने क्षेत्र की ऐसी किसी समस्या की जानकारी जो स्थानीय से जुड़ी हो और जिसकी सुनवाई न हो रही हो। व्हाट्सएप - 9193786726

मेरा शहर | mrt-bikinchargeamrr.amarujala.com

न्यूज डायरी

चौकी पर हुई मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज

कालागढ़। लकड़घाट स्थित वन चौकी पर श्रमिकों के बीच हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुराना कालागढ़ स्थित लकड़घाट चौकी पर बृहस्पतिवार को वन विभाग के श्रमिकों रणजीत सिंह, मंगत सिंह, सोहन सिंह व अमरजीत सिंह के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मारपीट में रणजीत सिंह घायल हो गया। रणजीत सिंह की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वन क्षेत्राधिकारी एनके रुवाली का कहना है कि चारों श्रमिक उत्तर प्रदेश के लालबाग के निवासी हैं। पुरानी रंजिश की वजह से झगड़ा हुआ। इस मामले की जांच शुरू कर दी गई। चारों को डयूटी से हटाया गया है। संवाद

गांव गांवड़ी में बना सार्वजनिक टिनशेड। संवाद

गांवड़ी में 20 लाख से बना सार्वजनिक टिनशेड

मंडावली। ग्राम पंचायत हुकुमतपुर केशो उर्फ गांवड़ी में क्षेत्र पंचायत निधि से 20 लाख रुपए की लागत से सार्वजनिक टिनशेड का निर्माण कराया गया है। ग्रामीणों को जन्मदिन, विवाह कार्यक्रम के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख तहराज सिंह देशवाल ने बताया कि हुकुमतपुर केशो के ग्रामीणों ने सार्वजनिक टिनशेड बनवाने की मांग की थी। उन्होंने जमीन चयन के बाद क्षेत्र पंचायत निधि से करीब 20 लाख रुपए की लागत से हुकुमतपुर केशो की हरिजन बस्ती में तालाब के सामने 14 इंची सीमेंट की दीवार करने के बाद एक टिनशेड का निर्माण कराया है। संवाद

फैजुल्लापुर पंचायत में भ्रष्टाचार विकास कार्यों में गड़बड़ी का आरोप

ग्रामीणों ने बीडीओ से दोषियों के खिलाफ जांच की मांग की

संवाद न्यूज एजेंसी

स्योहारा। विकास खंड बुढ़नपुर की ग्राम पंचायत फैजुल्लापुर में कथित भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है।

बृहस्पतिवार को ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी को सामूहिक शिकायत पत्र सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के तहत फर्जी जॉब कार्ड बनाकर अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जबकि वास्तविक जरूरतमंद मजदूरों को रोजगार से वंचित रखा जा रहा है। शिकायत में सड़क, नाली निर्माण और हैंडपंप मरम्मत सहित कई विकास कार्यों में अनियमितताओं का भी उल्लेख किया गया है।

ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में कराए गए कई निर्माण कार्य या तो अधूरे पड़े हैं या फिर उनकी गुणवत्ता बेहद खराब है। हाल ही में बनी सड़क और नालियां कुछ ही समय में क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायत पत्र में सरकारी धन के दुरुपयोग और विकास कार्यों में पारदर्शिता के अभाव का भी आरोप लगाया गया है।

साथ ही ग्राम पंचायत में साफ-सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति को भी संतोषजनक नहीं बताया गया। ग्रामीणों ने बीडीओ से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने, अधूरे विकास कार्यों को शीघ्र पूरा कराने तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की है।

शिकायत देने वालों में सुरेंद्र कुमार सैनी, राजीव कुमार भंडारी, भुवनेश, अजय पाल सिंह सहित अन्य ग्रामीण शामिल रहे।

बीडीओ से शिकायत करते ग्राम फैजुल्लापुर के ग्रामीण। संवाद

मनरेगा में फर्जी जॉब कार्ड घटिया निर्माण और सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप

अवैध कब्जा हटवाने की मांग

नजीबाबाद। तहसील नजीबाबाद के ग्राम अलीगंजपुर उर्फ हाजीपुर में सड़क निर्माण व चौड़ीकरण का कार्य अवैध कब्जे के चलते रुका हुआ है। ग्रामीणों ने छह जुलाई तक अवैध कब्जा नहीं हटाए जाने पर को आमरण अनशन की चेतावनी दी है।

लोक निर्माण विभाग की ओर से अकबराबाद नेशनल हाईवे से हाजीपुर होते हुए बुंदकी मार्ग तक पुख्ता सड़क का चौड़ीकरण होना है। तहसील कर्मियों की पैमाइश में उत्तर की तरफ 52 मीटर भूमि सड़क के लिए चिह्नित हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि हाजीपुर निवासी एक व्यक्ति ने 54 मीटर तक जमीन दबा रखी है। दो मीटर सड़क की जगह पर अवैध कब्जा कर रखा है। लोनिवि अधिकारी पर कब्जाधारी से हमसाज होने का आरोप लगाया है, जिससे मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य बीच में रुका है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व प्रधान जोगेंद्र सिंह तोमर, लोकेश, चंद्रपाल आदि ग्रामीणों ने अवैध कब्जा वाले क्षेत्र में आमरण अनशन की चेतावनी दी।

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र सरस्वत ने बताया कि नियमानुसार मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। न तो सरकारी जमीन किसी को कब्जाने दी जाएगी और न ही किसी का घर तोड़ा जाएगा। संवाद

जेल में बंद किसान के घर पहुंचे भाकियू अराजनीतिक के पदाधिकारी। संवाद

यूनियन पदाधिकारियों ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया

संवाद न्यूज एजेंसी

नजीबाबाद। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने ग्राम आलोपुर पहुंचकर निर्दोष किसानों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।

भाकियू अराजनीतिक के राष्ट्रीय संरक्षक राजेंद्र सिंह मलिक, राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी, मंडल अध्यक्ष रणधावा सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष चौधरी बलराम सिंह और युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह ने शुक्रवार को गांव पहुंच कर जेल में बंद किसान रूपेंद्र सिंह और मामले में नामजद किसानों के परिवारों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि छह जुलाई की महापंचायत से पूर्व प्रशासन ने निर्दोष किसानों को न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए तो महापंचायत कड़े निर्णय लेने पर विवश होगी।

इस अवसर पर जितेंद्र सिंह, नवीन राजपूत, भूपेंद्र सिंह, मुनेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, तरुण कुमार, भोजराज सिंह, प्रवीण सिंह, अजीत सिंह सहित अनेक किसान एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। उधर बहुजन पैंथर्स ऑफ इंडिया राजनीतिक के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष रोनी रवि एड. ने स्पष्ट किया कि अगर प्रशासन किसानों की महापंचायत के दबाव में दोषियों को बचाने का प्रयास करेगा तो पैंथर्स पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी।

आलोपुर पहुंचे भाकियू (अ) के पदाधिकारी, जेल में बंद किसान के परिजनों से मिले

मुकदमे वापस नहीं हुए तो छह को महापंचायत

बिजनौर। ग्राम आलोपुर में भूमि विवाद व उससे जुड़े आत्महत्या प्रकरण पर गठवाला खाप के चौधरी व भाकियू अराजनीतिक के राष्ट्रीय संरक्षक राजेंद्र मलिक ने कहा कि पुलिस-प्रशासन समय रहते मामले का निष्पक्ष समाधान नहीं कराता है, तो छह को महापंचायत होगी। शुक्रवार को गन्ना समिति प्रांगण में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नजीबाबाद में होने वाली पंचायत में बिजनौर से लखनऊ तक लड़ाई लड़ने की घोषणा होगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि किसान के खेत में जबरन रास्ता खोला जा रहा है। उसने इस मामले में सिविल कोर्ट से स्टे प्राप्त किया। कहा कि इसी विवाद के बीच एक व्यक्ति ने जहर निगलकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सुसाइड नोट से किसान व परिवार के कई सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज की और एक किसान को जेल भेज दिया। युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह ने कहा कि इस प्रकरण को जातीय रंग दिलाया जा रहा है। संवाद

हाईवे पर फटी पाइप लाइन, दुर्घटनाग्रस्त हो रहीं बाइकें

संवाद न्यूज एजेंसी

नजीबाबाद। मालगोदाम तिराहे से कृष्णा टॉकीज चौराहे के बीच भूमिगत पाइप लाइन फटने से हाईवे पर गहरा गड्ढा हो गया है। इसके चलते तेज रफ्तार दोपहिया वाहन गड्ढे में अनियंत्रित होकर गिर रहे हैं।

नगर पालिका परिषद की आबादी के बीच से हरिद्वार-मुरादाबाद हाईवे गुजरता है। हालांकि हाईवे का बाईपास बन चुका है, लेकिन अधिकांश वाहन अभी भी नगर के कृष्णा टॉकीज चौराहा होकर आवागमन कर रहे हैं।

एक सप्ताह पहले माल गोदाम तिराहे के निकट एचडीएफसी बैंक के सामने हाईवे के नीचे दबी नगर पालिका परिषद की पेयजल आपूर्ति से जुड़ी पाइप लाइन फट गई। मामूली रूप से मार्ग क्षतिग्रस्त होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने मरम्मत कराई लेकिन पाइप लाइन से लगातार पानी लीकेज से वर्तमान में हाईवे मार्ग का गड्ढा काफी चौड़ा हो चुका है। अचानक तेज रफ्तार बाइक, कार आदि गड्ढे में गिरकर अनियंत्रित हो रहीं हैं।

बैंक कर्मचारियों, कारोबारियों अमित डोवर, विनोद शर्मा, मुस्तफा रहमान, ब्रिजेंद्र सिंह, राजीव गुप्ता ने नगर पालिका परिषद से जनहित में तत्काल क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की मरम्मत करने की मांग की है।

नगर पालिका परिषद के जलकल विभाग के अभियंता कृष्ण वर्मा, सुनील कुमार ने शीघ्र क्षतिग्रस्त पाइप लाइन दुरुस्त कराने की जानकारी दी।

हाईवे पर फटी भूमिगत पाइप लाइन के नजदीक से जाते वाहन। संवाद

॥ भावपूर्ण श्रद्धांजलि ॥

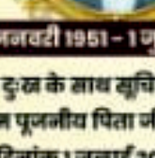

1 जनवरी 1951 - 1 जुलाई 2026

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे परम पूजनीय पिता जी श्री किशन कुमार जी का देहांत दिनांक 1 जुलाई 2026 को हो गया था।

श्रद्धांजलि सभा एवं टहम पगड़ी

अमृतवाणी सत्संग

शनिवार, 4 जुलाई 2026 | दोपहर 3 से सायं 4 बजे

SGM गार्डन्स, लालकुर्ती, मेरठ

शोकाकुल परिवार: भतीजा परिवार, बहू परिवार

प्रतिष्ठान: डेटावल ट्रेडर्स एंड कंपनी

PH: 9837105548, 8171900417

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

नीलामी सूचना
विक्रय सूचना

मण्डल कार्यालयः एआरएमबी, बंसत विहार कॉलोनी निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701, ईमेल- cs8204@pnb.co.in

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत बैंक के प्रभार में दी गई चल एवं अचल सम्पत्तियों का विक्रय अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन आधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों का अधिपत्य ग्रहण कर लिया है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत बैंक के देय की वसूली के लिए निम्नलिखित मामलों में बैंक के प्रभार में दी गई अधोलिखित सम्पतितयों की जहां भी है और जैसा भी है स्थिति में है– नीलामी की जाएगी।

क्र0 सं0	शाखा/खाता/ऋणी/गारन्टर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	ए) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तारीख बी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया रकम सी) 30.06.2026 तक मौजूदा बकाया रकम डी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तारीख ई) कब्जे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक कब्जा	(ए) रिर्जव मूल्य (लाख में) (बी) बयाना राशि (ईएमडी) (सी) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	बैंक को ज्ञात लेनदारों के प्रभार का विवरण
1	**शाखाः एआरएमबी, बिजनौर** **ऋणीः** मैसर्स शिव ट्रेडस प्रोपराइटर (प्रोपराइटर फर्म), श्री सुमित कुमार पुत्र श्री गीता राम (प्रोपराइटर/बंधककर्ता) एवं **गारन्टर/बंधककर्ताः** श्री सोहिल कुमार पुत्र श्री गीता राम, श्री शवि कुमार पुत्र श्री गीता राम, श्रीमती आभा देवी पत्नी श्री गीता राम और श्री भीष्म सिंह पुत्र हरकेश सिंह।	बंधक सम्पत्ति स्थित ग्राम- औरंगपुर फट्टा, परगना किरतपुर, तहसील- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (सम्पत्ति स्वामी श्री सुमित कुमार, श्री सोहिल कुमार, श्री शवि कुमार, सभी पुत्र श्री गीता राम, श्रीमती आभा देवी पत्नी श्री गीता राम एवं श्री भीष्म सिंह पुत्र श्री हरकेश), कुल माप क्षेत्रफल 0.415 हैक्टेयर अर्थात् 4150 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 9943, पेज नं0 321 से 334, क्र0सं0 3562, दिनांक 06.05.2020, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। सीमाएँः- पूर्वः सुमित कुमार आदि की भूमि एवं भीष्म सिंह की भूमि, पश्चिमः रास्ता, उत्तर- रास्ता एवं सुमित कुमार आदि की भूमि एवं उमेश कुमार की भूमि, दक्षिणः सुमित कुमार का रास्ता एवं देवेन्द्र कुमार की भूमि।	(ए) 18.09.2023 (बी) रू0 46,94,444.98 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.09.2023 (सी) रू0 62,22,358.98 + प्रभावी ब्याज दिनांक 31.10.2025 (डी) 28.11.2023 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 50,52,600/- रू0 5,05,260/- रू0 1,00,000/-	**04.08.2026** सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
2	**शाखाः एआरएमबी, बिजनौर** **ऋणी फर्मः** मैसर्स ओम खादी सेवा संस्थान। **प्रोपराइटर/ऋणी/बंधककर्ताः** श्री मौहम्मद दिलशाद पुत्र श्री यूसुफ। **ऋणीः 1.** श्री मुस्कान राबिया पत्नी श्री नसीम अहमद। **2.** श्रीमती नजिमा खातून पत्नी श्री महमूद हसन। **गारन्टर/बंधककर्ताः** मौहम्मद अली पुत्र छूट्टू खान।	बंधक सम्पत्ति स्थित मौहल्ला- इस्लाम नगर, निकट रोडवेज बस स्टेण्ड, नूरपुर, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। कुल माप क्षेत्रफल 187.20 वर्ग मीटर, विक्रय विलेख दिनांक 28.04.1980, बही नं0 1, पेज नं0 1418 से 1423, क्र0सं0 1855 (सम्पत्ति स्वामी श्री मौहम्मद अली पुत्र छूट्टन खान) सब-रजिस्ट्रार ऑफिस चांदपुर, जिला- चांदपुर (उ0प्र0)। सीमाएँः- पूर्वः रास्ता, पश्चिमः हरि सिंह की आराजी, उत्तरः विक्रेता की सम्पत्ति, दक्षिणः चौधरी हरि सिंह की आराजी।	(ए) 18.09.2021 (बी) रू0 22,41,448.96 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.09.2021 (सी) रू0 21,17,226.96 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.10.2025 (डी) 08.12.2021 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 30,61,800/- रू0 3,06,180/- रू0 1,50,000/-	**04.08.2026** सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
3	**शाखाः एआरएमबी, बिजनौर** श्री अमित कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह **(ऋणी एवं बंधककर्ता)** एवं श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री नत्थू सिंह **(गारन्टर)**।	बंधक सम्पत्ति स्थित मौहल्ला- चार बाग, नजीबाबाद, बिजनौर (उ0प्र0), माप क्षेत्रफल 117.09 वर्ग मीटर (सम्पत्ति स्वामी श्री अमित कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह), बही नं0 1, जिल्द नं0 7417, पेज नं0 223-246, क्र0सं0 15043, दिनांक 19.10.2015 पर पंजीकृत है। सीमाएँः- उत्तरः 8 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः शफीक अहमद की सम्पत्ति, पूर्वः फरीदा बेगम एवं नईम अहमद की सम्पत्ति, पश्चिमः साजिद अली की सम्पत्ति।	(ए) 07.03.2019 (बी) रू0 23,42,059/- + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 31.12.2017 (सी) रू0 43,20,949/- + प्रभावी ब्याज दिनांक 31.12.2025 (डी) 18.10.2019 (ई) भौतिक कब्जा	रू0 12,22,000/- रू0 1,22,200/- रू0 50,000/-	**04.08.2026** सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
4	**शाखाः एआरएमबी, बिजनौर** श्री अनिल कुमार पुत्र श्री भरत सिंह **(ऋणी/बंधककर्ता)**। श्रीमती सरस्वती पत्नी अनिल कुमार **(सह-ऋणी)** एवं श्री सुनील पाल पुत्र श्री फूल सिंह पाल **(गारन्टर)**।	बंधक आवासीय सम्पत्ति स्वामी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री भरत सिंह, स्थित ग्राम तातरपुर लालू, नजीबाबाद बिजनौर (उ.प्र.) माप 100.65 वर्ग मीटर, बही नं. 1, जिल्द नं. 7480, पेज 157-178, क्रमांक नं. 16894, दिनांक 08.12.2015 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद पर पंजीकृत है। सीमाएँः- उत्तर- गिरीराज जी का मकान, दक्षिण- 12 फीट चौड़ी रोड, पूर्व- अन्य का प्लॉट, पश्चिम- विक्रेता का प्लॉट।	(ए) 02.01.2020 (बी) रू0 22,69,228/- + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 31.12.2019 (सी) रू0 38,24,742/- + प्रभावी ब्याज दिनांक 30.12.2025 (डी) 29.07.2021 (ई) भौतिक कब्जा	रू0 12,26,700/- रू0 1,22,670/- रू0 25,000/-	**04.08.2026** सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक नोटिस 15 दिनों का नोटिस | **ईएमडी की अंतिम तिथिः नीलामी समय से पहले**

ई-नीलामी '' जहाँ है जैसी भी है'' स्थिति में की जाएगी और यह ई-नीलामी ऑनलाइन की जाएगी; ई-नीलामी बैंक द्वारा वेब पोर्टल **https://baanknet.com, support.baanknet@psballiance.com.** के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाईन ई-नीलामी बोली प्रलेख, घोषणा और ऑनलाइननीलामी विक्रय के सामान्य नियसम व शर्तो से सम्बन्धित ई-नीलामी टेंडर प्रलेख **https://baanknet.com, support.baanknet@psballiance.com.** पर उपलब्ध है। प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं सूचना के अनुसार उक्त सम्पत्तियसों पर कोई प्रभार नहीं है। तथापि इच्छुक बोलीकर्ता ई-नीलामी में बेची जाने वाली सम्पत्तियों पर किसी भी तरह के प्रभार, उनके स्वामित्व एवं सम्पत्तियों को प्रभावित करने वाले उन पर देय दावों/अधिकार/बकाया राशि के विषय में अपनी स्वत्रंत पुछताछ कर के स्वयं सतंष्ट हो लें। यह ई-नीलामी का विज्ञानल न तो बैंक की कोई प्रतिबद्धता है और न तो कोई प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व मानी जाएगी, उक्त सम्पत्ति उस पर बैंक के सभी वर्तमान प्रभावी प्रभार, चाहे वो बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी /सुरक्षित ऋणदाता किसी भी प्रकार के दावों/अधिकार/बकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगें। यह विक्रय वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत निर्धारित नियम/शर्तो के अधीन होगें। ई-नीलामी के अन्य नियम एवं शर्ते वेबसाइट **https://baanknet.com, support.baanknet@psballiance.com.** पर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस मुरादाबाद से **सम्पर्क करें- श्री अभिनव कुमार, मो0 नं0 9873100792 एवं श्री शौकीन, मो0 नं0 9897342327** सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 15 दिन की विक्री सूचना है। ऋणकर्ता/गारन्टरों को अधिसूचित किया जाता है कि वह ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अपडेट ब्याज व सहायक खर्चो के साथ ऊपर निर्दिष्ट राशि बैक को लौटा दें। अन्यथा सम्पत्ति को नीलाम/बेच दिया जायेगा और शेष बकाया राशि यहिद कोई है कोब्याज व लागत के साथ वसूला जायेगा। अधिकतम बोली लगाने वाले को बोली/विक्री राशि का 15% प्रतिशत संबंधित ईएमडी खाता सं. में जमा करना होगा, अग्रधन राशि इसी 15% में समायोजित कर ली जायेगी। यदि निर्धारित समय में 25% राशि जमा नहीं होती है, तो अग्रधन राशिजमा कर ली जायेगी तथा समपत्ति पुनः बेची जायेगी। सफल प्रतिभागी को शेष 75% राशि बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। यदि निर्धारित समय पर 75% राशि जमा नहीं होती है तो 25% राशि भी जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति पर प्रतिभागी का कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

दिनांकः 03.07.2026 | स्थान – बिजनौर | प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक

स्कूल में चहारदीवारी के नाम पर भुगतान की जांच को पहुंची टीम

शेरकोट। थाना क्षेत्र के ग्राम भिक्कावाला स्थित प्राथमिक विद्यालय में चहारदीवारी निर्माण में लाखों की रकम खुर्द बुर्द करने के मामले में शुक्रवार को जांच टीम गांव पहुंची। टीम ने अभिलेखों का सत्यापन कर शिकायतकर्ताओं और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए। गांव निवासी वीरेंद्र सिंह, अशोक कुमार, धीरज आदि का आरोप है कि प्रधानाध्यापिका ने अपने ठेकेदार पति से हमसाज होकर विद्यालय में पहले से ही बनी चहारदीवारी के नाम पर दोबारा निर्माण दर्शाकर लगभग 4.42 लाख रुपये खुर्द बुर्द कर लिए। ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापिका की नियुक्ति के आधार की भी जांच कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि मामले में कई माह पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन जांच के बाद ग्रामीणों को कोई जानकारी नहीं दी गई। एक माह पहले दोबारा शिकायत करने पर टीम अब जांच के लिए पहुंची है। उधर जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सक्सेना का कहना है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच टीम गठित की गई है। शिकायत संबंधी बिंदुओं की जांच के उपरांत रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। संवाद

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड

पत्रांक संख्या– 27प/पी0पी0पी0/01/2026/2026 | दिनांक 03/07/2026

–:विज्ञप्ति:–

यह सर्वसाधारण एवं इच्छुक निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि OPERATION & MAINTENANCE CONTRACT OF EMERGENCY RESPONSE SERVICES IN UTTARAKHAND IN 108 Ambulance service के संचालन हेतु आमंत्रित ई– निविदा संख्या–27प/पी0पी0पी0/05/2024/1291 दिनांक 15/01/2026 को शासन के पत्र संख्या– 410091/26/26–E. file/Comp.No. 90930/2025 दिनांक 02/07/2026 के क्रम में तत्काल प्रभाव निरस्त किया जाता है।

अतः उक्त निविदा से सम्बन्धित पूर्व में प्रकाशित निविदा सूचना, समय–सारणी, संशोधन (Corrigendum) निविदा दस्तावेज तथा समस्त कार्यवाही स्वतः निरस्त एवं अप्रभावी मानी जायेगी। भविष्य में यदि परियोजना से सम्बन्धित नवीन निविदा प्रकाशित की जायेगी तो उसकी विज्ञप्ति पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

निदेशक (पी0पी0पी)

Medical Helpline

मानसिक रोग घबराएँ नहीं उचित ईलाज कराएं

नींद की कमी, मानसिक तनाव एवं मिर्गी व हिस्टीरिया दौरे मारपीट व तोड़फोड़, बकवास करना, बार–बार हाथ धोना व ताले बैक करना, ओपरे हवायें, भूतप्रेत व कानों में विचित्र आवाजें आना

डा. मार्शल MBBS GMCS (UK) FIPS

मार्शल चिकित्सा केन्द्र | निकट चन्दा सिनेमा (सेन्ट्रल बैंक के सामने) रुड़की रोड, मुजफ्फरनगर, मो.9997411423